रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012022-232565
CG-DL-E-11012022-232565

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 11, 2022/पौष 21, 1943
No. 11] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 11, 2022/PAUSHA 21, 1943

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2022

सा.का.नि. 11(अ).—वायुयान (दुर्घटनाओं एवं घटनाओं की जांच) नियम, 2017, जिसे केंद्रीय सरकार वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधित करने का प्रस्ताव देती है, को और संशोधित करने के लिए कतिपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप को इससे प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों की सूचनार्थ उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा यथोपेक्षित एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारत के राजपत्र, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, की प्रतियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने के तीस दिनों की अवधि के पश्चात उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हो, श्री प्रांजल चंद्रा, निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली – 110003 (ई-मेल-vesec.moca@nic.in) को निवेदित किए जा सकते हैं;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि से पहले प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति या सुझाव पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों को वायुयान (दुर्घटनाओं एवं घटनाओं की जांच)...........(संशोधन) नियम, 2022 कहा जाए।
2. ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
3. वायुयान (दुर्घटनाओं एवं घटनाओं की जांच) नियम, 2017 में, -

(1) नियम 10 में, उप-नियम (1) में, -

(i) धारा (क) को निम्नलिखित के स्थान पर रखा जाएगा, नामतः -

"(क) अपने अधिकारों के तहत समन जारी करके जांच के लिए प्रासंगिक किसी भी गवाह को बुलाने तथा परीक्षण करने के लिए, तथा ऐसे गवाह से जानकारी प्रस्तुत अथवा प्रदान कराने के लिए, अथवा किसी भी पूछताछ का जवाब देने या उसे वापस करने के लिए, जो वह करना उचित समझे;

(ii) धारा (ख) में, "व्यक्ति" शब्द के स्थान पर, "गवाह" शब्द रखा जाएगा।

(1) नियम 18 का विलोप किया जाएगा।

(2) नियम 19 का विलोप किया जाएगा।

[फा. सं. एवी-11012/3/2019-डीजी]

सत्येंद्र कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम दिनांक 7 अगस्त 2017 के अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1011(अ) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में में प्रकाशित किए गए थे तथा दिनांक 30 मार्च, 2021 के सा.का.नि. 222(अ) के माध्यम से अंतिम बार संशोधित किया गया जो दिनांक 30 मार्च, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2022

G.S.R. 11(E).—The following draft of certain rules further to amend the Aircraft (Investigation of Accidents & Incidents) Rules, 2017, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 7 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by Section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to Shri Pranjol Chandra, Director, Ministry of Civil Aviation, Rajiv Gandhi Bhawan, New Delhi (Email ID: vesec.moca@nic.in).

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above, will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. These rules may be called the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents)…… (Amendment) Rules, 2022.

2. These shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

3. In the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2017, —

(1) in Rule 10, in sub-rule(1), —

(i) the clause (a) shall be substituted, namely —

"(a) to call and examine any witness relevant to the investigation, by issuing summons under his hand, and to require such witness to furnish or produce information or evidence, or to answer or returns to any inquiries he thinks fit to make;

(ii) in clause (b), for the word "person", the word "witness" shall be substituted.

(2) rule 18 shall be omitted.

(3) rule 19 shall be omitted.

[F. No. AV-11012/3/2019-DG]

SATYENDRA KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number G.S.R. 1011(E) dated 7th August 2017 and last amended vide G.S.R. 222(E), dated the 30th March, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 30th March, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.01.11 21:54:00 +05'30'